

तालिका 1

रोहतास जिला के सर्वेक्षित गाँवों में कृषि श्रमिकों के परिवार का % मासिक आय वर्ग

क्र०	मासिक आय वर्ग	कुल कृषि श्रमिकों के परिवार का %
1.	2000 से कम	16.22
2.	2000 से 2400	15.74
3.	2400 से 2600	14.69
4.	2600 से 2800	13.26
5.	2800 से 3000	8.96
6.	3000 से 3400	7.05
7.	3200 से 3400	7.16
8.	3400 से 3600	3.90
9.	3600 से 3800	3.82
10.	3800 से 4000	1.70
11.	4000 से 4200	2.68
12.	4200 से अधिक	4.77

स्रोत – कार्य क्षेत्र के आधार पर

कृषि श्रमिकों के आय के प्रमुख साधन

कृषि श्रमिक गाँव में आर्थिक दृष्टि से सबसे निचली पौदान पर है। गाँवों के लोगों का सामाजिक स्तर, भूमि एवं जाति के साथ जुड़ा होता है, जो उनकी हैसियत, आर्थिक भावित तथा राजनीतिक प्रभाव को बताता है। कृषि श्रमिक साधारणतः आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा जनजातियों के लोग हैं, क्योंकि इस जिले में भी अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि श्रमिक के रूप में अनुसूचित जातियों से अधिक कृषि श्रमिक आते हैं। रोहतास जिले में कृषि श्रमिक के रूप में इस वर्ग में 73.5% लोगों को रोजगार मिलता है जिनमें 18% से अधिक लोग अनुसूचित जनजाति के खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्तर का वास्तविक आंकलन तब तक संभव नहीं है, जब तक कृषि मजदूरों की आय के विभिन्न साधनों की जानकारी प्राप्त न हो, हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मजदूरों की आय प्राप्ति के साधनों में बहुत कुछ एकरूपता पायी जाती है। किन्तु क्षेत्रीय विशेषताओं के चलते रोजगार के भिन्न-भिन्न अवसरों के कारण कृषि श्रमिक अपनी बेरोजगारी के दिनों में आय अर्जित करने का प्रयास करते हैं। कृषि श्रमिकों के आय का मुख्य साधन खेतों में काम करने से प्राप्त मजदूरी है। संसाधन युक्त कृषि श्रमिक अपनी थोड़ी आय कृषि जोत से भी प्राप्त करते हैं। कुछ कृषि श्रमिक पशुधन से भी आय अर्जित करते हैं, किन्तु इनकी संख्या नगण्य होती है। कृषि श्रमिक बेरोजगारी के दिनों में भाहरों की ओर प्रवास कर आय अर्जित करने का प्रयास करते हैं।

मुख्य रूप से हर उन कार्यों में जो अकुशल श्रम प्रधान होते हैं, ये अपना श्रम बेचने का प्रयास करते हैं, जैसे – टेला चलाना, बोझ ढोना, रिक्शा चलाना, सड़क निर्माण, लकड़ी बेचना, भवन निर्माण, पुल निर्माण इत्यादि। इसके अलावा कुछ कृषि श्रमिक परिवारों की आय बाल श्रम की पूर्ति से भी होता है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से जानवरों की चराई के लिये बालश्रम ही मुख्य रूप से नियोजित किया जाता है। कुछ कृषि श्रमिकों के कृषि श्रमिक कारीगर अपने कार्य विशिष्टीकरण के कारण बेकारी के दिनों में उन विशेष कार्य के सम्पादन से कुछ आय अर्जित करने में सफल होते हैं।

उपर्युक्त व्यापक पृष्ठभूमि में रोहतास जिले के अध्ययन हेतु चयनित गाँवों के सर्वेक्षण से प्राप्त आय के साधनों का स्वरूप तालिका 2 में स्पष्ट किया गया है—

तालिका 2

रोहतास जिला में कृषि श्रमिकों की आय के प्रमुख साधन (% में)

क्र०	आय के साधन	प्रतिशत
1.	कृषि मजदूरी	73.2%
2.	सड़क और भवन निर्माण, कुली कार्य	7.1%
3.	रिक्शा एवं टेला चलाना	10%

4.	पशुचारण (पशु बिक्री)	4%
5.	अन्य (शिल्प, कारीगरी इत्यादि)	5.7%
	योग	100%

स्रोत – कार्य क्षेत्र के आधार पर

तालिका संख्या 2 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भाहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक कार्यों की उपलब्धता एवं आवागमन की सुविधा मिलने के कारण निकट के गाँवों के कृषि मजदूर अपने बेकारी के दिनों में दूसरे कार्यों से आय अर्जित करने का प्रयास करते हैं और रोहतास जिले के सासाराम, डेहरी, बिकमगंज, नासरीगंज, दावथ, नोखा तथा कोचस इत्यादि प्रखण्डों के कृषि श्रमिकों इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। इस तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की वृद्धि की जाय तो निश्चित रूप से कृषि मजदूर अपने जीवनस्तर की वृद्धि हेतु अन्य कार्य कर सकने की अपनी क्षमता में विकास करेंगे एवं उनके बेकारी के दिनों में व्यर्थ जाते श्रम का विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है तथा उनमें व्यवसाय परिवर्तन की प्रवृत्ति विकसित की जा सकती है। कृषि कार्यों में इन श्रमिकों की निर्भरता आज भी काफी अधिक है। इसके अनिश्चित स्वभाव के दुष्परिणामों को दूर करने के लिये कृषि श्रमिकों की आय का 60% से 75% तक भाग कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि लगभग 25% श्रमिक परिवार सहायक व्यवसाय करते हैं, जिसका विवरण तालिका संख्या 3 में दिया गया है—

तालिका 3

रोहतास जिला के सर्वेक्षित कृषि श्रमिक परिवारों के सहायक व्यवसाय (% में)

1.	भासकीय कार्य	2.5%
2.	नौकरी	8.2%
3.	दुकानदारी	6.5%
4.	कारीगरी	6.8%
5.	बगवानी	2.0%
	योग	25.0%

स्रोत – कार्य क्षेत्र के आधार पर

अनुभव तथा लोगों से चर्चा के बाद यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र के कृषि श्रमिक संस्थागत रुकावट, अवसर की उपलब्धता, पूँजी की कमी, अशिक्षा आदि विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक अवरोध के कारण व्यवसाय परिवर्तन में अक्षम हैं। चूँकि कृषि श्रमिकों की मजदूरी यहाँ पर सामाजिक रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं पर अधिक निर्भर है। माँग-पूर्ति के नियमों का इसके निर्धारण में कम हाथ होता है। यहाँ कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति औद्योगिक श्रमिकों की अपेक्षा हीनतर है। इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं— एक तो कृषि श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता, उन्हें 4 से 7 माह तक बेकार रहना पड़ता है। दूसरे उन्हें अपेक्षतया बहुत कम मजदूरी मिलती है। कुछ कृषि कार्यों के लिये कार्यानुसार तथा कुछ अन्य कृषि कार्यों के लिए समयानुसार मजदूरी दी जाती है, पुरुशों, स्त्रियों तथा बालकों को अलग-अलग दरों से मजदूरी दी जाती है।

कुछ ग्रामीण कृषि श्रमिकों के साक्षात्कार से जिले के विभिन्न भागों में ग्रामीण कृषि मजदूरी का अध्ययन किया गया है, जिससे उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। औद्योगिक श्रमिक संगठित होने के कारण क्षतिपूर्क महँगाई भत्ता प्राप्त करने में सफल हो सके हैं, जबकि यहाँ के असंगठित कृषि श्रमिक इस प्रकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रीति-रिवाजों से बंधे समाज में मजदूरी के बढ़ने में अत्यधिक समय लगता है, जैसे 1950-51 में जिले के औसत कृषि मजदूर को मासिक 10.50 रुपये, 1960-61 में 28.00 रुपये, 1970-71 में औसत रूप से 90.50 रुपये, 1980-81 में औसत रूप से 109.60 रुपये, 1990-91 में 283.30 रुपये तथा 1999-2000 में भी मात्र 604.00 रुपये मासिक मजदूरी प्राप्ति होती है।

विभिन्न सर्वेक्षणों तथा अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि कृषि श्रमिक परिवारों की आय के प्रमुख तीन स्रोत हैं – पहला भूमि पर खेती, दूसरा कृषि श्रम और तीसरा गैर कृषि श्रम। इनकी जीविका का प्रधान आश्रय खेतिहर मजदूरी है, जिसका महत्व 1995-96 में 1950-51 की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। आय स्रोतों में भूमि पर खेती का महत्व घटकर लगभग आधे से भी कम रह गया है। दूसरे भावों में प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल की तुलना में वर्तमान में कृषि श्रमिक और अधिक भूमिहीन हो गये तथा बैटाई आदि पर जो पहले भूमि मिल जाती थी उसकी मात्रा में

भी कमी हो गई। इसलिये विवश होकर यहाँ कृषि श्रमिकों को अधिक मात्रा में दूसरों के खेतों में मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है। इससे कृषक परिवारों और विषेशतः कृषक श्रमिक परिवारों की हीन आर्थिक दशा तथा निर्धनता का अनुमान लगाया जा सकता है।

जिले में कृषि श्रम परिवारों से पता चलता है कि लगभग 64% परिवार किसी न किसी प्रकार के ऋण से ग्रस्त रहते हैं। कुल ऋण राशि का लगभग 46% उपभोग व्यय के लिये 24% सामाजिक कार्यों के लिये, 19% उत्पादक उद्देश्यों के लिये तथा शेष 11% विविध खर्चों के लिए लिया जाता है, जो मुख्य रूप से 30% साहूकारों से, 40% मित्रों एवं सम्बन्धियों से, 15% सेवा योजकों से, 6% व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों से, 8% दुकानदारों से तथा 1% सहकारी समितियों से लिया जाता है।

इस तरह इन उपर्युक्त वास्तविक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अभी भी कृषि श्रमिकों की दशा हीनतर होती जा रही है। मूल्य वृद्धि से कृषकों तथा भूस्वामियों को लाभ हुआ है, लेकिन जीवन लागत बढ़ जाने से खेतिहर मजदूर और ऋणग्रस्त होते चले जा रहे हैं। परिवार का पालन करने के लिये उसे हर संभव विभिन्न स्रोतों से ऋण लेना पड़ रहा है। कुल ऋण का 70% उसे उपभोग तथा सामाजिक कार्यों के लिये लेना पड़ा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी ऋणग्रस्तता ने उन्हें साहूकारों और खेत मालिकों के चंगुल में ला दिया है और ऋण के भुगतान के लिये उनके उपर हमेसा दबाव रहता है।

कृषि श्रमिकों का व्यय विश्लेषण

सामान्यतः किसी भी परिवार द्वारा किया गया खर्च या व्यय की पूर्ति उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित राशि से होती है और विशेष परिस्थितियों में ऋण द्वारा प्राप्त राशि से। विभिन्न मर्दों में की गयी खर्च की राशि का सही-सही आँकलन एवं विश्लेषण साक्ष्यकार के आधार पर किया गया है। कृषि श्रमिक परिवारों के द्वारा किया गया श्रम व्यय निम्न शीर्षकों में एकत्रित किया गया है।

(1) खाद्यान्न या भोजन, (2) कपड़े या वस्त्र, (3) मकान एवं प्रकाश व्यवस्था, (4) तम्बाकू, बीड़ी इत्यादि (5) आवागमन, (6) सामाजिक उत्सव एवं त्यौहार, (7) शिक्षा एवं स्वास्थ्य, (8) स्वयं की कृषि भूमि में खर्च, (9) ऋण का ब्याज, (10) मनोरंजन में खर्च, (11) अन्य व्यय। विस्तृत तालिका 4 में प्रस्तुत किया गया है।

जिले में कृषि श्रमिक परिवारों द्वारा जीवनापयोगी मर्दों में प्रति कृषि श्रमिक परिवार द्वारा वार्षिक औसत रूप से 3352/- रुपये तथा मासिक रूप से 279/- रुपये तथा 9.31 रुपये प्रतिदिन व्यय किया जाता है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक व्यय खाद्यान्न एवं भोजन के अन्तर्गत 75% खर्च किया जाता है। उसके बाद क्रमशः कपड़े पर 5% मकान एवं प्रकाश व्यवस्था 5% तम्बाकू-बीड़ी पर 3% स्वयं की कृषि पर 2% ब्याज (लिये गये ऋणों पर) 2% उत्सव एवं त्यौहार में 2% शिक्षा एवं स्वास्थ्य में 2% आवागमन में 1% तथा मनोरंजन में मात्र 1% व्यय किया जाता है।

तालिका 4

रोहतास जिला में सर्वेक्षित कृषि श्रमिक परिवारों में व्यय का विवरण

(2016-2017)

क्र०	व्यय मद	प्रतिशत
1.	खाद्यान्न/भोजन	75%
2.	कपड़े	5%
3.	मकान एवं प्रकाश व्यवस्था	5%
4.	तम्बाकू, बीड़ी	3%
5.	आवागमन	2%
6.	उत्सव एवं त्यौहार	2%
7.	शिक्षा एवं स्वास्थ्य	2%
8.	कृषि पर खर्च	2%
9.	ब्याज (ऋण पर)	2%
10.	मनोरंजन	1%
11.	अन्य व्यय	1%
योग		100%

स्रोत - कार्य क्षेत्र के आधार पर

निश्कर्ष

उपर्युक्त दिये गये आँकड़ों और तथ्यों के वि" लेशन से स्पष्ट होता है कि रोहतास जिला में कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, और इसका जो प्रमुख कारण मुझे समझ में आता है वह है

1. कृषि कार्यों में इनकी वर्ष भर सनलिप्त ना होना क्योंकि कृषि कार्य साल में मात्र 5 से 6 महीनों तक ही होता है बाकी समय ये लोग बेकार बैठे रहते हैं
2. इसके बाद इन लोगों में सहायक व्यवसाय की कमी है मात्र 25% लोग ही बेकारी के समय में किसी दूसरे व्यवसाय को कर पाते हैं
3. तीसरी महंगी शिक्षा है क्योंकि इनकी आमद इतनी कम होती है कि यह लोग अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढा पाते हैं और यहाँ कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बिल्कुल निचली पायदान पर है
4. और ज्यादातर कृषि श्रमिक साहूकारों के ऋण तले दबे होते हैं जिससे उनके आय का ज्यादातर हिस्सा ब्याज में चला जाता है

तो हमें इन सभी तथ्यों पर ध्यान देकर इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के क्रम में आगे बढ़ना होगा।

REFERENCES

1. अग्रवाल, पी० सी० एवं आर०पी० माहेश्वरी (1979): भारतीय अर्थशास्त्र, नशनल पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली।
2. भालेराव एवं मधुकर महादेव (1980): भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, इलाहाबाद।
3. चतुर्वेदी एवं चतुर्वेदी (1983): श्रम अर्थव्यवस्था एवं श्रम समस्याएँ, गोयल पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली।
4. ममोरिया एवं जैन (1985): भारत का आर्थिक विकास, साहित्य भवन आगरा।
5. सिगरसए बी०एल० (1988): श्रम अर्थशास्त्र, सरस्वती सदन,

मसूरी।

6. मामोरिया एवं दशोरा (1984): भारतीय श्रम समस्यायें, साहित्य भवन आगरा।

7. चैबेर जे०एल० (1995): रोहतास जिले के कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, अप्रकाशित, पीएच०डी० शोध प्रबन्ध, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।

8. सिंह, यज्ञेश कुमार (1997): बिलासपुर जिले में कृषि श्रमिकों के विकास में भू-आर्थिक कारकों का अध्ययन, अप्रकाशित, पीएच०डी० शोध प्रबन्ध, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।